झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
द्वादश (मानसून) सत्र
वर्ग-04

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, गुरूवार, दिनांक- 12, श्रावण, 1945 (श0) / 03, अगस्त, 2023 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
138.	ज-06	श्री निरल पुरती	कटाव निरोधक कार्य कराना।	जल संसाधन	25.07.23
139.	क-05	श्री निरल पुरती	छात्रववृति का भुगतान	अनु0जा0अनु0 जन0जा0अ0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	25.07.23
140.	ज-10	श्री रामचन्द्र सिंह	जल संग्रहण का कार्य कराना।	जल संसाधन	25.07.23
141.	कृष-06	सुश्री अम्बा प्रसाद	माँगों को पूरा करना।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता।	25.07.23
142.	ज-02	श्री भानु प्रताप शाही	बराज का निर्माण।	जल संसाधन	23.07.23
143.	जा-01	श्री विनोद कुमार सिंह	वर्कशॉप खोलना।	ऊर्जा	23.07.23
144.	कृष-10	श्री संजीब सरदार	भुगतान करना।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	27.07.23
145.	ज-01	डॉ0 कुशवाहा शशि भूषण मेहता	परियोजनाओं की स्वीकृति।	जल संसाधन	23.07.23
146.	जा-05	श्री विकास कुमार मुण्डा	विद्युत सबस्टेशन बनाना।	ऊर्जा	25.07.23
147.	जा-04	श्री मथुरा प्रसाद महतो	मुआवजा देना।	ऊर्जा	23.07.23
148.	क-02	श्री आलोक कुमार चौरसिया	आवासीय विद्यालय का निर्माण।	अनु0जा0अनु0 जन0जा0अ0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	23.07.23
149.	मस-02	श्री मथुरा प्रसाद महतो	अनुकम्पा के आधार पर नियोजन।	महि0बाल वि0एवं समा0सुरक्षा	23.07.23

कृ0पृ0उ0

150.	ज–03	बिरंची नारायण	तलाब का जीर्णोद्धार	जल संसाधन	23.07.23
151.	ज–07	श्री किशुन कुमार दास	भूमि सिंचित कराना।	जल संसाधन	25.07.23
152.	कृष–08	डॉ0 इरफान अंसारी	कोल्ड स्टोरेज का निर्माण।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता।	27.07.23
153.	क–04	श्री मंगल कालिन्दी	छात्रावास का निर्माण।	अनु0जा0अनु0 जन0जा0अ0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	25.07.23
154.	ज–12	श्री रामदास सोरेन	नहर का पक्कीकरण कराना।	जल संसाधन	27.07.23
155.	मस–03	श्री कोचे मुण्डा	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई	महिला बाल वि0एवं समाजिक सुरक्षा	23.07.23
156.	ज–11	श्री अमर कुमार बाउरी	अभियंता पर कार्रवाई।	जल संसाधन	27.07.23
157.	ज–09	श्री किशुन कुमार दास	प्रमाण–पत्र निर्गत कराना।	जल संसाधन	25.07.23
158.	क–03	श्री दशरथ गागराई	विद्यालय का संचालन।	अनु0जा0अनु0 जन0जा0अ0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	23.07.23
159.	क–07	श्री लोबिन हेम्ब्रम	TAC का पुनर्गठन	अनु0जा0अनु0 जन0जा0अ0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	25.07.23
160.	क–08	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	रसोईया बहाल करना।	अनु0जा0अनु0 जन0जा0अ0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	27.07.23
161.	कृष–07	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	एम0ए0सी0पी0 का लाभ	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	26.07.23
162.	खा–01	श्री ढुल्लु महतो	मसिक मानदेय का भुगतान	खाद्य0सार्व0 वित0एवं उपभेक्ता मामले	23.07.23
163.	जा–07	श्री नलिन सोरेन	विद्युत आपूर्ति बहाल कराना।	ऊर्जा	26.07.23
164.	कृष–09	श्री रामचन्द्र सिंह	लाभुकों का भुगतान	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	27.07.23
165.	जा–03	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	निर्माण कार्य पूरा कराना।	ऊर्जा	23.07.23
166.	खा–02	श्री कमलेश कुमार सिंह	दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई।	खाद्य0सार्व0 वित0एवं उपभोक्ता मामले	23.07.23
167.	जा–02	श्री बिरंची नारायण	उपकरणों की उपलब्धता।	ऊर्जा	23.07.23
# 168.	क–06	श्री आलोक कुमार चौरसिया	आवासीय विद्यालय का निर्माण।	अनु0जा0अनु0 जन0जा0अ0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	25.07.23

कृ0पृ030

169.	कृष-04	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	शीतगृह का निर्माण कराना।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	25.07.23
* 170.	जा-08	डॉ0 इरफान अंसारी	हाई मास्ट लाईट लगाना।	ऊर्जा	27.07.23
171.	जा-12	श्री दीपक बिरुवा	विद्युतीकरण बहाल कराना।	ऊर्जा	27.07.23
172.	ज-04	डॉ0 नीरा यादव	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	23.07.23
173.	कृष-03	श्री दशरथ गागराई	पशु चिकित्सकों को पदस्थापित कराना।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	25.07.23
174.	जा-09	श्री संजीब सरदार	ट्रॅासफर्मर को बदलना।	ऊर्जा	27.07.23
175.	जा-11	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	गाँवों का विद्युतीकरण।	ऊर्जा	27.07.23
176.	कृष-05	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	भूखण्ड का आवंटन	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	25.07.23
177.	जा-06	श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता	विद्युत मीटर की जाँच।	ऊर्जा	26.07.23
178.	कृष-02	श्री समीर कुमार मोहन्ती	बीमा राशि का भुगतान।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	23.07.23
179.	क-01	डॉ0 लम्बोदर महतो	वन पट्टा वितरित करना।	अनु0जा0अनु0 जन0जा0अ0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	23.07.23
180.	मस-05	श्री विकास कुमार मुण्डा	तिथि सुनिश्चित करना।	महिला बाल वि0एवं समाजिक सुरक्षा	25.07.23
181.	मस-01	श्री ढुल्लु महतो	तेजस्वनी परियोजना का कियान्वयन।	महिला बाल वि0एवं समाजिक सुरक्षा	23.07.23
182.	जा-10	श्रीमती पुष्पा देवी	T.R.W की स्थापना।	ऊर्जा	27.07.23
183.	ज-05	श्री कमलेश कुमार सिंह	सिंचाई क्षमता का सृजन कराना।	जल संसाधन	23.07.23
184.	मस-04	श्री कोचे मुण्डा	ऑगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण।	महिला बाल वि0एवं समाजिक सुरक्षा	23.07.23
185.	कृष-01	श्री भानु प्रताप शाही	बकाया राशि का भुगतान।	कृषि पशु0 एवं सहकारिता	23.07.23
186.	खा-03	श्री केदार हजरा	उच्चस्तरीय जाँच कराना।	खाद्य0सार्व0 वित0एवं उपभोक्ता मामले	25.07.23
187.	ज-08	श्री अनंत कुमार ओझा	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	जल संसाधन	25.07.23

नोटः- # कम संख्या-168,क-06, अनु0जा0अनु0जन0,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पत्रांक-1758,दि0-28.07.23 द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित।

* कम संख्या-170,जा-08,ऊर्जा विभाग के पत्रांक-1504,दि0-28.07.23 द्वारा नगर विकास विभाग में स्थानांतरित।

राँची,

दिनांक- 03 अगस्त,2023 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-......2052......../वि0स0,राँची,दिनांक-01/08/23

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

रवि 01.08.23

(रवि शंकर प्रसाद)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-......2052......../वि0स0,राँची,दिनांक-01/08/23

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय तथा संयुक्त सचिव (प्रश्न) को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

रवि 01.08.23

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2020-......2052......../वि0स0,राँची,दिनांक-01/08/23

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/वेबसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा/आश्वासन शाखा/J.V.S TV. एवं विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग,झारखंण्ड विधान-सभा,राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

रवि 01.08.23

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

30/07/23

अरुण

श्री निरल पुरती, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मंझारी प्रखण्ड के बड़ालगड़ा ग्राम पंचायत बरकुण्डिया ग्राम के पास कंगीरा नदी का कटाव से आम ग्रामीणों को काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है।	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक–387, दिनांक–18.06.2022 द्वारा उक्त नदी कटाव निरोधक कार्य हेतु प्राक्कलन समर्पित किया जा चुका है।	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पश्चिमी सिंहभूम के कंगीरा नदी के कटाव निरोधक कार्य को करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मंझारी प्रखण्ड में कंगीरा नदी पर निम्नांकित कटाव निरोधक कार्य का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। (i) पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मंझारी प्रखण्ड के देवझारी ग्राम, पंचायत परसा के पास कंगीरा नदी पर कटाव निरोधक कार्य। (ii) पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मंझारी प्रखण्ड के बड़ालगड़ा ग्राम, पंचायत बरकुण्डिया ग्राम के पास कंगीरा नदी में कटाव निरोधक कार्य। क्रमांक (i) में प्रस्तावित कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक –1/पी० एम०सी० /कार्य/1104/2019–06/2023–24, दिनांक –02.06.2023 द्वारा प्रदान की गई है तथा

		क्रमांक–(ii) में प्रस्तावित कार्य को योजना समीक्षा समिति द्वारा समीक्षोपरान्त बजट उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए wait & watch में रखा गया है। बरसात के पश्चात् पुनः क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) तथा योजना समीक्षा समिति (SRC) के अनुशंसा के पश्चात् प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–59/2023 – 4285 /राँची, दिनांक 01/08/23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1896 वि०स० दिनांक 25.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1-8-23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

F:\Note 5\vidhan Sabha\July-2023\J-6 Niral Purty.doc

140

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-10 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मनिका विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ पूरे पलामू प्रमण्डल में लगभग हर वर्ष कम वर्षा होने के कारण सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है, साथ ही इस क्षेत्र का जल स्तर काफी नीचे चला जाता है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले एवं मनिका विधानसभा क्षेत्र (लातेहार जिला) से कई नदियाँ यथा-कोयल नदी, ओरंगा नदी, धरधरी नदी तथा कई छोटी नदियाँ गुजरती है जिस पर चेकडैम, बीयर, बराज इत्यादि बनाकर सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ की जा सकती है एवं जल स्तर को समान्य किया जा सकता है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में पड़ने वाले सुखाड़ के दृष्टिकोण से खण्ड-2 में वर्णित नदियों पर सिंचाई हेतु जल संग्रहण का कार्य करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	1. मनिका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अब तक छोटे-छोटे नदी नालों पर 84 चेकडैम योजनाओं को पूर्ण कर 3930 हे० सिंचन क्षमता का सृजन किया जा चुका है एवं 33 चेकडैम योजनाएँ निर्माणाधीन है जिनके पूर्ण होने पर कुल 1345 हे० और सिंचन क्षमता का सृजन किया जा सकेगा। पलामू जिलान्तर्गत छोटे-छोटे नदी नालों पर अबतक 105 चेकडैम योजनाओं को पूर्ण कर 5845 हे० सिंचन क्षमता का सृजन किया जा चुका है एवं 20 चेकडैम योजनाएँ निर्माणाधीन हैं जिनके पूर्ण होने के उपरान्त 881 हे० अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जा सकेगा। 2. **उत्तर कोयल नदी** – शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (मंडल डैम) के अवशेष कार्यो का कार्यान्वयन भारत सरकार के सहयोग से जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत Project Management Consultant WAPCOS Ltd. से कराया जा रहा है, जिसके पूर्णता की पुनर्निर्धारित तिथि 31.03.2025 है। इस परियोजना का अवशेष कार्य पूर्ण होने पर मंडल डैम में अपेक्षित जल संग्रहण हो सकेगा, जिससे पलामू एवं गढ़वा

		जिला के 14000 हे0 में खरीफ एवं 4500 हे0 में रब्बी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी तथा परियोजना के आसपास के क्षेत्रों में भू-जल स्तर में भी सुधार होगा। 3. धरधरी नदी – लातेहार जिलान्तर्गत धरधरी नदी पर सिंचाई योजना की संभाव्यता हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कर तकनीकी संभाव्यता पाए जाने पर बजटीय उपबंध एवं निधि की उपलब्धता के आलोक में वीयर या बराज के निर्माण का निर्णय लिया जा सकेगा। 4. **पलामू पाईप लाईन योजना** – इस योजना द्वारा औरंगा एवं उत्तर कोयल नदी से Lift Irrigation के माध्यम से विभिन्न जलाशयों को भरने एवं पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान प्रस्तावित है। आरंभिक परियोजना प्रतिवेदन की जाँच प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6 / ज०सं०वि०–20–तारांकित–63 / 2023...4287 / राँची, दिनांक–01/08/23

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–1895 दिनांक–25.07.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड / उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–06 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में नियुक्त जन सेवकों का नौकरी लगने के 10–11 साल बाद ग्रेड पे कम करने संबंधित आदेश कृषि विभाग द्वारा निर्गत किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में जन सेवकों का नियुक्ति विज्ञापन में ग्रेड पे और वेतनमान अंकित की गयी थी जो कि विभागीय प्रक्रियाओं के पश्चात् प्रकाशित की गयी थी;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि जन सेवकों की संशोधित नियुक्ति नियमावली में वर्ष 2012 में जन सेवकों के ग्रेड पे और वेतनमान अंकित किया गया था और यह नियमावली कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में प्रकाशित की गयी थी;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के जन सेवकों का ग्रेड पे पर अवांछनीय छेड़छाड़ न करने व झारखण्ड राज्य जन सेवक संघ की मांगों को पूरा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में जनसेवकों का ग्रेड पे0 का संशोधन संबंधी पत्र निर्गत किया गया है। वर्त्तमान वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसमें निदेश प्राप्त है कि जनसेवकों के संबंध में न्यायालय के द्वारा जबतक अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता है तब तक उन्हें वर्तमान वेतन भी मिलता रहे और उनके वेतन से कोई कटौती भी फिलहाल नहीं किया जाए, जिसके अनुपालन हेतु कृषि निदेशक को निदेशित किया जा चुका है। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन (Sub-Judice) है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–08/विधानसभा तारांकित प्रश्न–16/2023 1968 कृ0, राँची, दिनांक– 01/08/2023

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1892 दिनांक–25.07.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/2023

(सत्येन्द्र कुमार साहा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–08/विधानसभा तारांकित प्रश्न–16/2023 1968 कृ0, राँची, दिनांक–01/08/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 1/8/2023

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–08/विधानसभा तारांकित प्रश्न–16/2023 1968 कृ0, राँची, दिनांक–01/08/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, प्रशाखा–09, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 1/8/2023

सरकार के उप सचिव।

माननीय स0वि0स0, श्री भानु प्रताप शाही द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0– ज–02 का उत्तर प्रतिवेदन :

क्रं0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के प्रखंड खरौंधी अन्तर्गत डोमनी बराज का निर्माण वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि लगभग 09 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक डोमनी बराज का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है, जिससे सैंकड़ों किसान सिंचाई सुविधा के अभाव में कृषि कार्य से वंचित हो रहे हैं;	1. स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं, तो क्या सरकार डोमनी बराज का निर्माण पूरा कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	1. इस योजना के भू–अर्जन कार्य हेतु विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर को रू0 10.00 करोड़ रू0 का भुगतान किया जा चुका है। इस क्रम में भू–अर्जन की धारा 19 (i) की अधिघोषणा तथा 21 (ii) के तहत रैयतों को भूमि अधिग्रहण हेतु सूचना भी दी जा चुकी है। 2. विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर के खाता से 12.60 करोड़ की अवैध निकासी के कारण भू–अर्जन की प्रकिया बाधित हुई है, जिस कारण संरचना निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका तथा भू–अर्जन प्रकिया भी कालबाधित हो गया है। योजना हेतु पुनः भू–अधियाचना समर्पित कर भू–अर्जन प्रकिया प्रारंभ की गई है। भू–अर्जन प्रकिया पूर्ण होने पर डोमनी नाला बराज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 4281 /राँची, दिनांक– 01/08/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं0–1773, दिनांक–23.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ramesh Kr.WRD,Med//

2. अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

Ramesh Kr.WRD.Med//

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा-01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि TRW (ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप) गिरिडीह आवश्यकता के अनुरूप रिपेयर नहीं कर पा रही है, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को जले ट्रांसफार्मर बदलने में 1 माह तक का इंतजार करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह 6 विधानसभा का जिला है, जहाँ उपभोक्ता का भार ज्यादा है और वज्रपात और अन्य कारणों से ट्रांसफार्मर जलने की रफ्तार ज्यादा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गिरिडीह जिला में ग्रामीणों को त्वरित गति से जले ट्रांसफार्मर बदलने हेतु सरिया सब–स्टेशन में एक अतिरिक्त TRW (ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप) खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	स्वीकारात्मक। अगले वर्ष 2024–25 के बजट में प्रावधान करते हुए सरिया में TRW (Transformer Repair Workshop) खोलने का प्रस्ताव पर कार्रवाई किया जाना निर्धारित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1544 / दिनांक 02/08/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/8/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

श्री संजीव सरदार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–10 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री संजीव सरदार, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में पानी पंचायत द्वारा सरकारी एवं निजी तालाबों के जीर्णोद्धार, पी0टी0 एवं डीप बोरिंग का कार्य सरकार के राज्यादेश दिनांक–11.06.2021 एवं 20.10.2022 के आलोक में राज्य के विभिन्न जिलों में (कार्य) पूर्ण कर लिये गये हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य के सभी जिलों में अधिकांश सरकारी एवं निजी तालाबों के जीर्णोद्धार, पी0टी0 एवं डीप बोरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 की योजना का कार्य किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में किये गये सरकारी एवं निजी तालाबों के जीर्णोद्धार, पी0टी0 एवं डीप बोरिंग के पूर्ण किये गये कार्य के विरूद्ध भुगतान नहीं की गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना स्वीकृत नहीं थी। वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्ण किये गये योजनाओं का भुगतान प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में किये गये पानी पंचायत द्वारा सरकारी एवं निजी तालाबों के जीणोद्धार, पी0टी0 एवं डीप बोरिंग जो पूर्ण कर लिये गये हैं, का भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में वस्तुस्थिति वर्णित है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–42/2023 1955 **कृ0, राँची, दिनांक**–01/08/2023

प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1993 दिनांक–27.07.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–42/2023 1955 **कृ0, राँची, दिनांक**–01/08/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–42/2023 1955 **कृ0, राँची, दिनांक**–01/08/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, प्रशाखा–09, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(146)

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा-05 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि तमाड़ विधान सभा क्षेत्र का प्रखंड अड़की काफी पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ बिजली, पानी जैसी सुविधाओं को सफलतापूर्वक पहुँचना काफी मुश्किल कार्य है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है, कि अड़की प्रखंड में महज एक विद्युत सबस्टेशन वर्तमान में क्रियाशील है जो अपर्याप्त है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वर्तमान में अड़क प्रखण्ड में एक सब–स्टेशन है। अड़की प्रखण्ड की कुल माँग 2.6 मेगावाट है, जबकि अड़क प्रखण्ड स्थित सब–स्टेशन की कुल क्षमता 5.5 मेगावाट है। अतः अड़की प्रखण्ड में माँग के आधार पर सब–स्टेशन की संख्या पर्याप्त है।
3. क्या यह बात सही है, कि अड़की प्रखंड के बिरबांकी में विद्युत सबस्टेशन बन जाने से इस प्रखंड के अधिकतर गाँवों को स्थानीय सब–स्टेशन से जोड़ा जा सकेगा;	स्वीकारात्मक है। अड़की सब–स्टेशन से बीरबाँकी की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। बीरबाँकी में सब–स्टेशन बनाने में 33 के०भी० लाईन का निर्माण करने में कठिनाई होगी, क्योंकि यह दुर्गम तथा जंगल क्षेत्र में अवस्थित है। अभी वर्तमान में माँग को देखते हुए अड़की सब–स्टेशन की क्षमता पर्याप्त है। परंतु दूरी को देखते हुए बीरबाँकी में सब–स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव अगले योजना में शामिल किया जायेगा।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अड़की के सुदूरवर्ती क्षेत्र में बसे लोगों को अंधेरामुक्त करने हेतु बिरबांकी में एक नया विद्युत सब–स्टेशन बनवाने का इरादा रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	स्वीकारात्मक। अगले वित्तीय वर्ष 2024–25 में कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1542 / दिनांक 02/08/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/8/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

श्री कुशवाहा शशिभूशण मेहता , माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.08.2023 पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ज०–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत आबादी जीविकोपार्जन हेतु कृषि कार्य पर आश्रित हैं।	आंकड़े इस विभाग से संबंधित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि, पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपेक्षा के अनुकूल वर्षा नहीं होने से, सुखाड़ के कारण सिंचाई के अभाव में कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है।	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि, पलामू जिला में पिरी, चाको, सोनरे एवं जमुने जैसी अत्यंत महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाएं पिछले दो वर्षों से विभाग में स्वीकृति की प्रत्याशा में लंबित पड़ी हुई है, जिनके निर्माण से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उपरोक्त सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करके निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही ंतो क्यों?	पीरी योजना का डी०पी०आर० परामर्शी के माध्यम से तैयार कराया जा रहा है। अन्य सिंचाई योजनाएँ यथा चाको, सोनरे, जमुने के प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–53/2023 – 4295 **/राँची, दिनांक 02/08/23**

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1770 वि०स०, दिनांक 23.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

21

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिलान्तर्गत पूर्वी टुंडी प्रखण्ड के ग्राम–रामपुर डोडवाडीह, पो०–महाराजगंज, थाना–पूर्वी टुंडी निवासी श्री रसिक रजक एवं उनके पुत्र श्री कृष्णा रजक का विद्युत तार से स्पर्शाघात होने से दि०–01.07.23 को मृत्यु हो गई थी?	अस्वीकारात्मक। धनबाद जिलान्तर्गत पूर्वी टुंडी प्रखण्ड के ग्राम– रामपुर डोडवाडीह, पो०–महाराजगंज, थाना–पूर्वी टुंडी निवासी श्री रसिक रजक एवं उनके पुत्र श्री कृष्णा रजक की मृत्यु झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० के LT wire या HT wire के स्पर्शाघात से नहीं हुई है। श्री रसिक रजक एवं श्री कृष्णा रजक की मृत्यु, उनके घर में ही लगे लोहे की रॉड में विद्युत प्रवाहित होने के कारण हुआ है। उक्त लोहे की रॉड को स्व० रसिक रजक द्वारा गीला कपड़ा सुखाने के लिए उपयोग किया जा रहा था, जिससे विद्युत स्पर्शाघात हो गया। पिता को बचाने के क्रम में पुत्र श्री कृष्णा रजक भी चपेट में आ गए। घर का मेन स्विच काटने के बाद ही पिता–पुत्र दोनों को विद्युत प्रवाह से अलग किया जा सका। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उनके दूसरे पुत्र श्री राम कुमार रजक द्वारा स्थानीय थाना में लिखित दिया गया है। स्थानीय समचार पत्र में भी मृत्यु का कारण एवं घटनाक्रम को प्रकाशित किया गया है। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा भी स्थानीय थाना में घटनाक्रम को दर्ज कराया गया है। साथ ही स्थल जाँच के क्रम में पाया गया कि विभागीय तार श्री रजक के घर से दूर है। अतः स्पर्शाघात घर के अंदरूनी वाइरिंग में त्रुटि के कारण हुआ है।
2. क्या यह बात सही है, कि विद्युत तार से स्पर्शाघात होकर मृत्युय होने पर विभाग द्वारा आश्रित परिजनों को मुआवजा देने का प्रावधान है?	आंशिक अस्वीकारात्मक। झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० के LT wire या HT wire से स्पर्शाघात होने पर ही आश्रित परिजनों को मुआवजा देने का प्रावधान है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित में खंड–1 में वर्णित मृतकों के परिजनों को विभाग द्वारा सरकारी सहयोग एवं मुआवजा राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त दुर्घटना झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० के त्रुटि के कारण नहीं हुई है। अतः मुआवजा विभागीय प्रावधान के परिसीमन के अंतर्गत नहीं आता है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1524 / दिनांक 01/08/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 01/8/23

(अरुण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

148

श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स० द्वारा दिनांक –03.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– क–02 का उत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला के सतबरवा प्रखण्ड में आवासीय विद्यालय नहीं रहने के कारण यहाँ के छात्र/छात्राओं का पठन–पाठन प्रभावित होता है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विभागान्तर्गत कुल 143 आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें से पलामू जिला में कुल 05 आवासीय विद्यालय संचालित है। प्रमण्डल स्तर के इन 05 आवासीय विद्यालयों में पलामू प्रमण्डल अन्तर्गत सभी जिलों के छात्र/छात्राएँ अध्ययन कर सकते हैं। यद्यपि सतबरवा प्रखण्ड में आवासीय विद्यालय नहीं है किन्तु निकटवर्त्ती प्रखण्डों– मेदिनीनगर (डाल्टनगंज) में आश्रम विद्यालय, रेड़मा तथा पिछड़ी जाति आवासीय उच्च +2 विद्यालय, अयोध्या, कोल्हुआ, स्थित है और लेस्लीगंज में अनुसूचित जाति प्राथमिक आवासीय विद्यालय स्थित है।
2.	क्या यह बात सही है, कि गरीब, निर्धन छात्र/छात्राएँ दूर जाकर शिक्षण कार्य करने में संक्षम नहीं होते है, जिसके कारण उनकी शिक्षा बीच मझधार में ही छूट जाती है ;	उपर्युक्त कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गरीब, निर्धन छात्र/छात्राओं के बेहत्तर शिक्षण कार्य के लिए सतबरवा प्रखण्ड में आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:– 1785 राँची, दिनांक:– 02/08/2023

प्रतिलिपि:– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1784, दिनांक–23.07.2023 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आव यक कार्यार्थ प्रेषित।

02.8.2023

(योगेश कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

E:\Neera\2022-23\vivek sir\Sec_20\Vidhan sabha\Question 2023.docx

159

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.08.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–02 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका तथा महिला पर्यवेक्षिका अपने कार्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करते आ रहे हैं;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित कर्मचारियों को अन्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के तर्ज पर पदोन्नति एवं आकस्मिक निधन पर परिजनों को अनुकम्पा के आधार पर नियोजन से वंचित रखा जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित कर्मचारियों को पदोन्नति एवं आकस्मिक निधन पर परिजनों को अनुकम्पा के आधार पर नियोजन के साथ अन्य लाभ देने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	(i) महिला पयवेक्षिकाओं की सेवा शर्तों में पदोन्नति तथा अनुकम्पा का प्रावधान है एवं कार्यरत कर्मियों को एतद् सेवा सुविधाऐं उपलब्ध है। (ii) आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के आकस्मिक निधन पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा का लाभ प्रदान किया जाता है। (iii) आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की सेवा स्वैच्छिक सेवा है। आंगनबाड़ी सेविका को पदोन्नति प्रदान करने का प्रावधान नहीं है तथापि इन्हें सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध है। आंगनबाड़ी सहायिका को 5 वर्ष अथवा अधिक की सेवा पर इन्हें आंगनबाड़ी सेविका के पद पर चयन के क्रम में अधिमानता प्रदाय है।

झारखण्ड सरकार

<u>महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग</u>

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–212/2023 – 2200 रॉंची, दिनांक : 02.08.2023

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को उनके ज्ञापांक–1781/वि0स0 दिनांक–23.07.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.8.23

(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो के चास प्रखण्ड अंतर्गत ब्राह्मणद्वारिका पंचायत के बेलुट सरकारी बड़ा बाँध तालाब जिसका खाता संख्या-109, प्लॉट संख्या-663 तथा 664, कुल रकबा-10.51 एकड़ है और पंचायत नावाडीह के डूमरजोर ग्राम के बेहरा बाँध तालाब, जिसका खाता संख्या-43 है एवं कुल रकबा-17 एकड़ है, की स्थिति अत्यंत ही खस्ताहाल है और इसमें वर्षों से गाद जमा होने से इसकी जल संचयन की क्षमता घट गई है, जिससे इसका पूर्ण लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों बाँध/तालाब से कृषि कार्य/सिंचाई हो रहे हैं, लेकिन गाद जमा होने से कृषि कार्य प्रभावित हुआ है और उत्पादन घट गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में तत्काल उक्त दोनों बाँध/तालाब का जीर्णोद्धार करवाने का विचार रखती है, ताकि इनका जल संचयन की क्षमता बढ़े और स्थानीय लोगों को इसका भरपूर लाभ प्राप्त हो सके, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	अंचलाधिकारी से जलाशय क्षेत्र के भू-भाग से संबंधित भूमि प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक-6/ज०सं०वि०-20-तारांकित-55/2023 4282 / राँची, दिनांक- 01/08/23

प्रतिलिपि :-(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक 1771 दिनांक 23.07.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा 6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

151

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.08.2023 पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ज०–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत मयूरहंड प्रखण्ड में अंजनवा जलाशय का गहरीकरण एवं नहर का पक्कीकरण करने से उक्त प्रखण्ड के तिलरा, पंचघरा, सोकी, गुरुवाडीह, मनहरी, नावाडीह, अमवातरी, अमझर साले, खैरा, महुवाय, पथरा, सदाफर, फुलॉग एवं रेरी तथा अन्य असिचिंत गाँव को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।	चतरा जिला अन्तर्गत मयुरहड प्रखण्ड में अंजनवा जलाशय योजना का जीर्णोद्धार कार्य वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्ण करा लिया गया है। उक्त जलाशय योजना के कमाण्ड क्षेत्र में आनेवाले मयूरहंड प्रखण्ड के तिलरा पंचघरा, सोकी, गुरुवाडीह, मनहरी नावाडीह, अमवातरी, अमझर साले, खैरा, महुवाय, पथरा, सदाफर, फुलाँग तथा अन्य 12 गाँव के अधकांश कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में अंजनवा जलाशय की गहरीकरण की आवश्यकता नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि मयूरहंड प्रखण्ड के पंचायत बेलखोरी में करकरी नदी पर बैराज बनाकार आस–पास के असिंचित पंचायतों एवं गाँवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।	चतरा जिला के मयूरहंड प्रखण्ड के करकरा नदी के उक्त स्थल के उपर लघु सिंचाई विभाग/अन्य विभाग द्वारा पूर्व में ही नौ अदद् चेक डैमो का श्रृखंला निर्मित है। ऐसे में उक्त स्थल पर बराज के निर्माण हेतु पर्याप्त जल की उपलब्धता हेतु विस्तृत सर्वेक्षण के उपरांत तकनीकी संभाव्यता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।
3.	क्या यह बात सही है कि ईटखोरी प्रखण्ड के बक्सा जलाशय का गहरीकरण एवं नहर का पक्कीकरण करने से उक्त प्रखण्ड के असिंचित पंचायतों एवं गाँवों में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।	अस्वीकारात्मक। ईटखोरी प्रखण्ड अन्तर्गत बक्शा जलाशय योजना का जीर्णोद्धार कार्य वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूर्ण करा लिया गया है। उक्त जलाशय योजना के कमाण्ड क्षेत्र में आनेवाले सभी गाँवो एवं पंचायतो में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में बक्सा जलाशय की गहरीकरण की आवश्यकता नहीं है।

E:\MIS Cell Dept\03.01.2022\Note 5\Vidhan Sabha\July 2023\J-07 Kishun kumar dash.docx

क्र०	प्रश्न	उत्तर
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1, 2 एवं 3 में उल्लेखित जलाशय का गहरीकरण, नहर का पक्कीकरण एवं बैराज का निर्माण कराकर असिंचित भूमि को सिंचित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	खण्ड–3 एवं खण्ड–1 में उल्लेखित बक्शा जलाशय योजना एवं अंजनवा जलाशय योजना का जीर्णोद्धार कार्य क्रमशः वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्ण कराकर सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। खण्ड–2 में उल्लेखित मयूरहंड प्रखण्ड के बेलखोरी पंचायत के करकरा नदी पर बराज का निर्माण विस्तृत सर्वेक्षणोपरान्त तकनीकी संभाव्यता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–60/2023 – 4304 /राँची, दिनांक 23/08/23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1898 वि०स० दिनांक 25.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(152)

डॉ0 इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष 08 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ0 इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0, झारखण्ड	**श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची**

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला कृषि आधारित जिला है और यहाँ के किसान खेतीबारी पर ही निर्भर रहते हैं ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के ग्राम कदरुडीह, पोखरिया, चीरुडीह, लोधरिया, कुसमापहाड़ी, कुलडंगाल, गोपालपुर, लाधना में कोल्ड स्टोरेज नहीं रहने के कारण किसानों को अपनी सब्जियों का सही दाम नहीं मिल पा रहा है जिस कारण उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उल्लेखनीय है कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत- 5000 एम0टी0 क्षमता के कोल्ड स्टोरेज़ का निर्माण नाला प्रखण्ड के सालुका पंचायत में किया जा रहा है। - निम्न प्रखण्डों में 30 एम0टी0 क्षमता के एक-एक कोल्ड रुम का निर्माण किया गया हैः- क्र0 / प्रखण्ड का नाम: 1. करमाटांड 2. कुण्डहीत 3. नाला 4. फतेहपुर 5. नारायणपुर -निम्न प्रखण्डों में 05 एम0टी0 क्षमता के सौर उर्जा चालित मिनी कोल्ड रुम का निर्माण किया गया हैः- क्र0 / प्रखण्ड का नाम / मिनी कोल्ड रुम की संख्या: 1. जामताड़ा - 2 2. करमाटांड - 1 3. कुण्डहीत - 1 - वित्तीय वर्ष 2023-24 में सौर उर्जा चालित मिनी कोल्ड रुम योजना अन्तर्गत जामताड़ा जिला में 05 एम0टी0 क्षमता के दो यूनिट मिनी कोल्ड रुम का निर्माण प्रस्तावित है। इस योजना अन्तर्गत जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटी, जिसमें जिला के माननीय विधायक गण/विधायक प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, के द्वारा उक्त ग्रामों में मिनी कोल्ड रुम के निर्माण हेतु अनुशंसा प्राप्त होने पर निर्माण कार्य कराया जा सकता है।

कृ0पृ0उ0

D:\S.Murmu\2023-24\Vidhan saba Question 2022-23.docx

1053
01.08.2023

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में अविलम्ब कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका-2 के अनुरूप।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-03/बजट सह0 (विधान सभा)-30/2023....1053..../**राँची, दिनांक**-...01.08.2023...

प्रतिलिपिः-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0-1981 वि0स0 दिनांक-27.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.08.23

(राघवेन्द्र झा)

सरकार के उप सचिव।

D:\S.Murmu\2023-24\Vidhan saba Question 2022-23.docx

श्री रामदास सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना की बाँयी मुख्य नहर, घाटशिला अंचल स्थित बांकी पंचायत के लेदा ग्राम के समीप पिछले वर्ष के बरसात के मौसम में टूट गई थी, जिसके कारण उक्त क्षेत्र में काफी पानी का बहाव होने के कारण आस–पास के किसानों को काफी नुकसान हुई थी, जिसके बाद उक्त नहर के टूटे भाग में मिट्टी डाल कर पानी के बहाव को रोका गया था ;	स्वीकारात्मक। नहर के क्षतिग्रस्त भाग में मिट्टी भरकर Compaction कर तत्क्षण नहर को ठीक करा दिया गया था।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित नहर के टूटे भाग को संबंधित पदाधिकारियों द्वारा अबतक पक्कीकरण नहीं किये जाने के कारण इस वर्ष के बरसात में भी स्थानीय लोगों में भय का माहौल उत्पन्न है तथा किसानों के फसलों को नुकसान होने की संभावना से इन्कार नहीं की जा सकती है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित नहर के टूटे भाग को यथाशीघ्र पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	नहर के क्षतिग्रस्त भाग के पक्कीकरण (पी०सी०सी० लाईनिंग) हेतु निविदा आमंत्रित कर कार्यावंटन आदेश निर्गत किया जा चुका है। संवेदक के साथ एकरारनामा की प्रक्रिया पूर्ण कर यथाशीघ्र नहर का पक्कीकरण कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–65/2023 – 4280 **/राँची, दिनांक** 01/08/23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1994 वि०स० दिनांक 27.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

F:\Note 5\vidhan Sabha\July-2023\J-12 Ramdash Soreain.doc

155

श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.08.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–03 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला के कर्रा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम जरियागढ़ के बुधन होरो, पति बुधुवा होरो एवं बुधनी मुण्डाईन, पति– रुका मुण्डा को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों व्यक्तियों को मृत घोषित कर 2018 के बाद पेंशन बन्द कर दिया गया है, जिसके कारण दोनों भुखमरी के स्थिति में आ गये है;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। पंचायत सचिव के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में उक्त दोनों व्यक्तियों को मृत दर्शाया गया था। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर दोनों व्यक्तियों का नाम पेंशन पोर्टल से हटा दिया गया था। इस कारण उनका पेंशन माह फरवरी, 2020 से अब तक बंद था।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त दोनों अनुसूचित जनजाति के अति निर्धन व्यक्तियों को पेंशन दिलाते हुए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मामले की जाँच के पश्चात् दोनों व्यक्तियों को माह फरवरी, 2020 से माह जुलाई, 2023 तक का पेंशन भुगतान कर दिया गया है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–308, दिनांक–27.07.2023 द्वारा दोषी पंचायत सेवक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु उपायुक्त, खूँटी को पत्र निर्गत किया गया है।

झारखण्ड सरकार

<u>महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग</u>

ज्ञापांक – 04 / म0स0 / विधान सभा–213 / 2023 –2193 राँची, दिनांक : 02·08·2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1780 / वि0स0 दिनांक–23.07.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/8/2023

(राजेश प्रजापति)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(156)

माननीय श्री अमर कुमार बाउरी, स॰वि॰स॰ से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–ज॰–11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र॰	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि श्री सुबोध कुमार, कार्यपालक अभियंता, यॉंत्रिक प्रमण्डल, बनासो, हजारीबाग में पिछले छः वर्षों से पदस्थापित हैं ;	– अस्वीकारात्मक। – विभागीय अधिसूचना संख्या–3840 दिनांक 20.11.2018 से श्री सुबोध कुमार, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यॉंत्रिक प्रमण्डल, बनासो के पद पर 04 वर्ष 8 माह से पदस्थापित हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वर्णित कार्यपालक अभियंता पर भ्रष्टाचार अनियमितता, सरकारी राशि के गबन के आरोप पर कार्रवाई लंबित है ;	– सम्प्रति श्री सुबोध कुमार के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं है। – परन्तु श्री सुबोध कुमार, कार्यपालक अभियंता, यॉंत्रिक प्रमण्डल, बनासो के विरुद्ध शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई करने एवं स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया गया है। – प्राप्त शिकायत पत्र पर नियमानुसार वांछित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई एंव स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	– उपर्युक्त कंडिका–02 के संदर्भ में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त के फलाफल के आलोक में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :–06/ज॰सं॰वि॰–20–तारांकित–64/2023 –4297 /रॉंची, दिनांक :– 02/08/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1975 दिनांक 27.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड, रॉंची/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड रॉंची/उप सचिव (प्र॰), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/ अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–08, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06, जल संसाधन विभाग, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23

(देवेन्द्र कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

D:\Phider - 2023\Dy Sce\BIDHAN SABHA\Amar Kumar Bauri Tarankit J-11 -03.08.2023.docx

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.08.2023 पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ज०–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत प्रखण्ड टण्डवा में टण्डवा बाजार को केरेडारी प्रखण्ड, हजारीबाग जिला को जोड़ने वाली सड़क में गेरूवा नदी पर पुल निर्माण जनहित में आवश्यक है।	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि वर्णित पुल के निर्माण एन.टी.पी.सी. नॉर्थ कर्णपूरा परियोजना के प्रबंधन जल संसाधन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करने के कारण पुल का निर्माण एन.टी.पी.सी. नॉर्थ कर्णपूरा परियोजना द्वारा नहीं किया जा रहा है।	पुल निर्माण के लिए जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग के पदाधिकारियों एवं NTPC के पदाधिकारियों द्वारा दिनांक–24.06.2023 को संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों द्वारा 12 फीट चौड़ा पुल का निर्माण की मांग किया गया, जबकि NTPC द्वारा फूट ब्रिज का निर्माण का NOC का मांग किया गया है। NTPC प्रबंधन द्वारा यह कहा गया कि कार्य स्थल पर 12 फीट चौड़ा पुल या फिर फूट ब्रिज निर्माण करवाया जायेगा, यह प्रबंधन के उच्च पदाधिकारी निर्णय करेंगे, NTPC द्वारा निर्णय अभी तक विभाग को संसूचित नहीं किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में पुल निर्माण (12 फीट चौड़ा) हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	NTPC द्वारा 12 फीट चौड़ा पुल के निर्माण के लिए NOC हेतु आवेदन प्राप्त होने पर जल संसाधन विभाग द्वारा NOC निर्गत करने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–09–अतारां०–62/2023 – 4296 /राँची, दिनांक 02/08/23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1688 वि०स० दिनांक 28.06.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.8.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\MIS Cell Dept\03.01.2022\Note 5\Vidhan Sabha\July 2023\J-09 Kishun Kumar Das.doc

श्री दशरथ गागराई, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–03.08.2023 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–03 का उत्तर –

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि कोल्हान प्रमंडल के झिमड़ी, बोड़ाम, कुमारडुंगी, बरहागोड़ा एवं दीघा में अवस्थित एकलव्य/आश्रम विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–2021, 2021–22, 2022–23, 2023–24 में नामांकन हेतु छात्र–छात्राओं का चयन हुआ था ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्णित स्थानों पर अवस्थित एकलव्य/आश्रम विद्यालयों का संचालन वर्तमान समय तक प्रारंभ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से विभाग द्वारा चयनित छात्रों का नामांकन नहीं लिया गया ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक हैं, तो क्या सरकार कोल्हान प्रमंडल के झिमड़ी, बोड़ाम, कुमारडुंगी, बहरागोड़ा एवं दीघा में अवस्थित एकलव्य/आश्रम विद्यालयों का संचालन चालू शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ करने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	झिमड़ी, (सरायकेला), कुमारडुंगी (पश्चिमी सिंहभूम) एवं बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम) में निर्मित आवासीय विद्यालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–260/2021–22 दिनांक–23.05.2022 द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं के चयन प्रक्रिया को स्थगित रखने का निदेश दिया गया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन प्रारंभ करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु दिनांक–19.07.23 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। तदोपरांत जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के मार्ग निदेश के आलोक में विद्यालयों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। बोड़ाम (पूर्वी सिंहभूम) में निर्मित आवासीय विद्यालय आश्रम विद्यालय है। इसके संचालन हेतु विभाग द्वारा इस शैक्षणिक सत्र में कार्रवाई की जा रही है। दीघा, (मनोहरपुर, पश्चिमी सिंहभूम) में निर्मित आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय है। इसके संचालन हेतु विभाग द्वारा इस शैक्षणिक सत्र में कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–08/EMRS-वि०स०प्र० 02/2023 - 1795 राँची, दिनांक– 02/08/2023

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–1785, दिनांक–23.07.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/08/2023

(प्रिसिल्ला मुर्मू)

सरकार के उप सचिव।

श्री लोबिन हेम्ब्रम, स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–क–07 का उत्तर प्रतिवेदन:–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जनजातियों के समग्र हित व अस्तित्व (सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, पहचान, जल–जंगल–जमीन, हासा–भाषा आदि) की रक्षा हेतु संविधान की 5 वीं अनुसूची के तहत् [Article-244 (1)] PART-B की धारा में Tribes Advisory Council [TAC] का प्रावधान किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड– में वर्णित TAC को MINI ASSEMBLY की दर्जा प्राप्त है जिसके जिम्में अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के लिये प्रशासन एवं नियंत्रण निहित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। TAC में "3/4th सदस्य representatives of Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State." का प्रावधान है।
3	क्या यह बात सही है कि TAC अस्तित्व में ही नहीं है, जिसके कारण अनुसूचित जनजाति के लिये वैधानिक, प्रशासनिक एवं अन्य हित बद्ध निर्णय नहीं हो पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय आदेश ज्ञापांक–1192, दिनांक–22.06.2021 द्वारा Jharkhand Tribes Advisory Council गठित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार TAC का पुर्णगठन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:–08/वि०स० (ता०)–03/2023-1788 रॉंची, दिनांक:– 02/08/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1882, दिनांक–25.07.2023 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

02/08/2023

(प्रिसिल्ला मुर्मू)

सरकार के उप सचिव।

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–07 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, मा०स०वि०स०, झारखण्ड	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या बात सही है कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के पदाधिकारियों को 10, 20 एवं 30 वर्षो के लगातार सेवा पूर्ण होने के उपरांत संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०) का लाभ देने का प्रावधान है:	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सहकारिता विभाग में कार्यरत एवं सेवानिवृत सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों का देय एम०ए०सी०पी० का लाभ कई वर्षो से लंबित है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कार्यरत/सेवानिवृत सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को एम०ए०सी०पी० का लाभ देने का विचार सखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय आदेश संख्या–571 दिनांक–03.05.2023 के द्वारा सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत देय लाभ की स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्क्रीनिंग कमिटि का गठन किया गया है। अतएव उक्त सम्वर्ग को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–01/स्था० अराज० (वि०स०प्र०)–45/2023 सह0 1052 राँची, दिनांक– 01.08.2023

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–1953 वि०स० दिनांक–26.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.08.23

(उमाशंकर प्रसाद पाल)
सरकार के अवर सचिव।

(162)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा० 01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री ढुलू महतो
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में लगभग 1700 PDS दुकानदार है और ये सभी सरकार के सभी आदेश का अनुपालन करते हुए PDS दुकान का संचालन करते आये है;	वर्तमान में धनबाद जिले में कुल 1656 PDS दुकान कार्यरत है। ये सभी सरकार के सभी आदेशों का अनुपालन करते हुए PDS दुकान का संचालन करते आये हैं।
(2) क्या यह बात सही है कि दुकानदारों को विगत 15 माह से इन्हें देय कमीशन राशि का भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण इनके परिवार के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है;	जनवरी, 2023 के पूर्व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को रूपये 1/– प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा था। इस प्रकार लाभुकों से रूपये 1/– प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त होने वाली राशि जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा डीलर कमीशन के रूप में रख ली जाती थी। 01 जनवरी, 2023 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत मुफ्त में खाद्यान्न वितरण करने का निर्णय लिया गया है, जिसके आलोक में राज्य के लाभुकों को 01 जनवरी, 23 से मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त के आलोक में राज्य के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को देय डीलर कमीशन का भुगतान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह जनवरी 2023 से मार्च, 2023 तक के लिए राशि जिलों को उपलब्ध करायी गई थी जिससे डीलर कमीशन के भुगतान की कार्रवाई की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण कार्य के विरूद्ध डीलर कमीशन के भुगतान हेतु अनुमानित राशि राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है एवं भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। कारोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलायी गयी थी जिसके तहत भारत सरकार से Central Assistance अप्राप्त रहने के कारण माह नवम्बर 2021 से मार्च 2022 तथा अगस्त 2022 से दिसम्बर 2022 तक कुल 10 माह का डीलर कमीशन का भुगतान लंबित है। भारत सरकार से Central Assistance राशि की अधियाचना की गई है जिसे प्राप्त होते ही भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
(3) क्या यह बात सही है कि इनके पास जो पॉश मशीन वितरण हेतु दिया गया है 2G का है और इसके कारण आम जनता को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;	वर्तमान में राज्यभर में कार्यरत ई–पॉस मशीन 2G मोड में है। विभाग द्वारा कमजोर नेटवर्क क्षेत्रों वाले दुकानों में 4G Dongle एवं 12db Antenna का अधिष्ठापन करते हुए वितरण में सुगमता लाने का प्रयास किया जा रहा है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार PDS दुकानदारों को कमीशन के बदले मासिक मानदेय का भुगतान करते हुए, पॉश मशीन को 2G से 5G करवाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प० सिंहभूम के 50 जन वितरण प्रणाली दुकानों एवं रामगढ़ जिले के 07 जन वितरण प्रणाली दुकानों में पॉयलट आधारित 4G मशीनों का परीक्षण किया जा रहा है। उपरोक्त के फलाफल के समीक्षोपरांत राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में 4G ई– पॉश मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–59/2023 2255 /राँची, दिनांक 28/07/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–1787, दिनांक 23.7.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/07/2023
सरकार के अवर सचिव।

163

श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा-07 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि दुमका जिला के शिकारीपाड़ा विधान–सभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है, कि प्रखंड–काठीकुंड के पंचायत–धवाडंगल के ग्राम–फुलझंझरी, कुमीरदाहा, तालडीह, पं०–पंदनपहाड़ी के ग्राम ईदगाह, टोला पं०–आमजोड़ा के करहरबील, केवटटोला, पथराकुण्डी, पं०–कदमा के डंगाल टोला, पं०–बड़ाचापुड़िया, ग्राम–हेठडुमर, बांझी, छोटा मुडभंगाप्रधान टोला, बालाडीह, मयुरनाथ, छोटानारगंज, पिंडारी, बोकवा, पं०–बडतल्ला के आसनबनी, जोड़ाआम, पं०–बिछियापहाड़ी के अम्बाजोड़ा बांधटोला, पं०–पिपरा के पिपरा मजार टोला, लेदारपाथर पं०–झिकरा के कारीपहाड़ी, प्रधान टोला, हटिया टोला, सरसाबांध स्कुल के पास, झालकी इमानुएल घर के पास, टेसपरता, छोटा धनिया पहाड़ी, बड़ा धनिया पहाड़ी मसनिया सिमन मुर्मू के घर के पास, जलवाडूब बाबूलाल सोरेन के घर के पास ट्रांसफार्मर जल गया है, कुछ खराब हो गया है, कुछ चोरी हो गया है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति ठप हो गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी उठाना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त पंचायतों एवं गावों में नया ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	हाँ। प्रखण्ड–काठीकुण्ड के पंचायत–असताजोरा के ग्राम कडहरबिल (केवट टोला), पथराकुण्डी, कदमा (डंगाल टोला) पंचायत –बड़ाचापुडिया के ग्राम हेठडुमर मयुरनाथ छोटा नारगंज, पिडरी, बकुवा, पंचायत– बड़तला के ग्राम–आसनबनी, जोड़ाआम, पंचायत–झिकरा केन्दपहाड़ी (प्रधान टोला), हटियाटोला, तेलपरता, छोटा धनियापहाड़ी आदि ग्रामों में विद्युत आपूर्ति चालु है। प्रखण्ड– काठीकुण्ड पंचायत–धावाडंगाल के ग्राम–फुलझंझरी, कुमीरकंटा, तालडीह, पंचायत–पंदनपहाड़ी के ग्राम ईदगाह टोला, पंचायत–बड़ाचापुडिया के ग्राम–बांझीआम छोटाभुईभांगा (प्रधान टोला) बालीडीह, पंचायत–बिछीयापहाड़ी के ग्राम–अम्बा जोड़ा (बांध टोला) पंचायत– पिपरा के ग्राम मंजार टोला, लेदापाथर, मांझीटोला, पंचायत–झीकरा के ग्राम–बड़ा धनियापहाड़ी, जलुवाडुबा, सरसाबाद, भालकी, जलवाडुबा आदि ग्रामों में ट्रांसफार्मर लगा कर यथाशीघ्र विद्युत आपूर्ति चालू कर दी जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1541 / दिनांक 02/08/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/08/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

श्री रामचन्द्र सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष–09 का प्रश्नोत्तर।

	प्रश्नकर्त्ता– श्री रामचन्द्र सिंह, मा0स0वि0स0	**उत्तरदाता**–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत भूमि संरक्षण विभाग द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में बंजर भूमि/राईस फेलो विकास उप योजना अन्तर्गत सरकारी एवं निजी तालाब का जीर्णोद्धार हेतु चयनित योजना तथा जलनिधि उप योजना अन्तर्गत डीप बोरिंग तथा परकोलेशन टैंक निर्माण चयनित योजना का कार्य लाभुक कृषकों द्वारा पूर्ण किये जाने के बावजूद भी विभागीय लापरवाही के कारण भुगतान नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पूर्ण योजनाओं का आंशिक भुगतान किया जा चुका है एवं शेष का भुगतान प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित योजनाओं के लाभुकों को समय पर भुगतान नहीं होने से इन पर घोर आर्थिक संकट व्याप्त है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित योजनाओं के लाभुकों का भुगतान त्वरित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–1 में वस्तुस्थिति वर्णित है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–43/2023 1953 **कृ0, राँची, दिनांक**–01/08/2023
प्रतिलिपिः– श्री रवि, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1982 दिनांक–27.07.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23
(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–43/2023 1953 **कृ0, राँची, दिनांक**–01/08/2023
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(ता0)–43/2023 1953 **कृ0, राँची, दिनांक**–01/08/2023
प्रतिलिपिः– उप सचिव, प्रशाखा–09, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–03 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के झरिया अंतर्गत भागा में विद्युत विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 में नया विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था;	अस्वीकारात्मक। स्थानीय लोगो से प्राप्त जानकारी के अनुसार झरिया अन्तर्गत भागा में प्रस्तावित विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण कार्य झारखण्ड राज्य के गठन के पूर्व ही प्रारंभ कराया गया था। वर्तमान में उक्त प्रस्तावित विद्युत सब–स्टेशन का केवल चहारदिवारी ही निर्मित अवस्था में है।
2. क्या यह बात सही है कि झरिया के डिगवाडीह सब–स्टेशन तथा जामाडोबा सब–स्टेशन पर अत्यधिक लोड होने के कारण हो रही तकनीकी समस्याओं से विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित होती है तथा यहाँ के नागरिकों को विद्युत आपूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। 11 के०भी० लाईन की लम्बाई अधिक तथा वितरण संरचना पुराना होने के कारण तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है जिसके कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होती है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झरिया में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बहाल करने के उद्देश्य से भागा सब–स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कराते हुए शीघ्र चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	आगामी वार्षिक विकास योजना वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत भागा विद्युत सब–स्टेशन के निर्माण का स्वीकृति प्राप्त करना निर्धारित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1521 / दिनांक 01/08/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/08/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा० 02 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री कमलेश कुमार सिंह
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के हरिहरगंज परियोजना अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दिए जा रहे पूरक पोषाहार का वर्ष 2022–23 के प्रथम तिमाही का 34.13 मेट्रिक टन चावल राज्य खाद्य गोदाम, हरिहरगंज को उपलब्ध कराया गया था;	पलामू जिला के हरिहरगंज परियोजनान्तर्गत पोषाहार का वर्ष 2022–23 के प्रथम तिमाही हेतु आवंटित खाद्यान्न के विरूद्ध 34.13 मेट्रिक टन चावल राज्य खाद्य निगम, हरिहरगंज को उपलब्ध कराया गया था।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पूरक पोषाहार का 34.13 मेट्रिक टन चावल किसी भी आंगनबाडी केन्द्र को दिनांक 15.07.2023 तक उपलब्ध नहीं कराया गया है;	पूरक पोषाहार का 34.13 मेट्रिक टन चावल सहायक गोदाम प्रबंधक, हरिहरगंज के शिथिलता के कारण आँगनबाड़ी केन्द्रों को दिनांक 15.07.2023 तक उपलब्ध नहीं कराया गया था, परन्तु जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह–जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पलामू द्वारा पत्रांक–1002, दिनांक 02.08.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सम्प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हरिहरगंज को चावल उपलब्ध करा दिया गया है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य खाद्य गोदाम, हरिहरगंज में उपलब्ध कराए गए 34.13 मेट्रिक टन चावल को हरिहरगंज परियोजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, साथ ही विलंब के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पलामू जिला के हरिहरगंज परियोजना अन्तर्गत संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर दिये जा रहे पूरक पोषाहार का वर्ष 2022–23 के प्रथम तिमाही का चावल उपलब्ध नहीं कराये जाने की जाँच हेतु उपायुक्त, पलामू को निदेश दिया गया था। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–492, दिनांक 01.08.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार पूरक पोषाहार के चावल का वितरण प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक–सह–जनसेवक श्री सरजुन राम के द्वारा नहीं किया गया है और न ही वर्तमान प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक–सह–जनसेवक श्री राजेन्द्र कुमार सिंह को उक्त मद के प्रथम तिमाही वर्ष 2022–23 का चावल का प्रभार सौंपा गया है। फलतः उक्त तिमाही के चावल का वितरण नहीं किया गया है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार सरजुन राम के उपर चावल को आँगनबाड़ी केन्द्र में उपलब्ध नहीं कराने, उक्त चावल की हेरा–फेरी कर गबन करने तथा चावल निकासी का मामला प्रतीत होता है। साथ ही, वर्तमान समय में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हरिहरगंज के विरूद्ध कार्य में रूची न लेने, अपने अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा ससमय चावल उपलब्ध नहीं कराने एवं संबंधित गोदाम से अवैध निकासी के लिए प्रथम द्रष्टया दोषी प्रतीत होते हैं। अतः दोनो दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह–जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पलामू द्वारा पत्रांक–1002, दिनांक 02.08.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सम्प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हरिहरगंज को चावल उपलब्ध करा दिया गया है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–60/2023 2311 /राँची, दिनांक 02/08/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–1788, दिनांक 23.7.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/08/2023

सरकार के अवर सचिव।

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा-02 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो एक औद्योगिक नगर है, जहाँ 63 के०वी०ए०, 200 के०वी०ए० और 500 के०वी०ए० के नये ट्रांसफार्मर की भारी कमी है और ये स्टॉक में नहीं है, जिससे जैसे ही ट्रांसफार्मर बदलने की जरूरत होती है, कई दिन लोगों को इंतजार करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि बोकारो में ट्रांसफार्मर के साथ-साथ पोल, तार एवं अन्य इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस उपकरणों की भी भारी कमी रहती है, और इनका स्टॉक भी पर्याप्त नहीं रहता है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में बोकारो में 63 के०वी०ए०, 200 के०वी०ए० और 500 के०वी०ए० के ट्रांसफार्मर सहित पोल, तार एवं अन्य इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का विचार रखती है, ताकि जरूरत पड़ने पर मात्र कुछ घंटों में ही पुनः बिजली आपूर्ति निर्बाध रूप से चालू की जा सके हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	बोकारो चास में विद्युत आपूर्ति मेन्टेनेन्स से संबंधित सामान ट्रांसफार्मर तेल, पोल आदि उपलब्ध करा दिया गया है एवं ट्रांसफार्मर भी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1543 /   दिनांक 02/08/2023

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/8/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

168

2153
30/07/2023

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–क0–06		
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के नव–सृजित प्रखण्ड रामगढ़ में कस्तुरबा आवासीय विद्यालय नहीं रहने के कारण गरीब अ.जा./अ.ज. जाति/पिछड़ी जाति के लोगों को शिक्षण कार्य करने में कठिनाई हो रही है;	अस्वीकारात्मक। रामगढ़ प्रखण्ड चैनपुर प्रखण्ड से विभाजित होकर बना है। चैनपुर प्रखण्ड में पूर्व से भारत सरकार द्वारा कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय स्वीकृत एवं संचालित है, जिसमें नवसृजित रामगढ़ प्रखण्ड की बालिकाओं का भी नामांकन पूर्व से लिया जा रहा है। कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के दिशा–निदेश के अनुसार कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में 75% सीट विभिन्न कोटि यथा–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम अल्पसंख्यक एवं 25% गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार के लिए आरक्षित है।
2.	क्या यह बात सही है कि आर्थिक तंगी के कारण छात्र–छात्राएँ दूर जाकर शिक्षण कार्य करने में असमर्थ होते हैं, ऐसी स्थिति में इनका शिक्षण कार्य बीच में अधूरा छूट जाता है;	अस्वीकारात्मक। रामगढ़ प्रखण्ड के गठन के पूर्व राज्य सरकार द्वारा 57 झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। रामगढ़ प्रखण्ड चैनपुर प्रखण्ड से विभाजित होकर बना है। चैनपुर प्रखण्ड में पूर्व से भारत सरकार द्वारा कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय स्वीकृत है, जो कि अपने भवन में संचालित है। उक्त विद्यालय में नवसृजित रामगढ़ प्रखण्ड की बालिकाओं का भी नामांकन पूर्व से लिया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे गरीब बच्चों के शिक्षण कार्य में गुणवत्ता हेतु सर्वांगीण विकास के लिए ग्राम–रामगढ़ में मॉडल कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	(1) भारत सरकार द्वारा अब नए कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। (2) जिन प्रखण्डों में भारत सरकार द्वारा कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय की स्वीकृति प्राप्त नहीं है, उन प्रखण्डों में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। (3) नवसृजित प्रखण्ड, रामगढ़ आदि में वर्त्तमान में झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

30/07/2023
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–194/2023.....2153........ राँची, दिनांक...30/07/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/07/2023
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक-03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष 04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0, झारखण्ड	**श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची**

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या बात सही है कि सरकार के निर्णयानुसार राज्य के सभी प्रखण्डों में 5000MT क्षमता का शीतगृह का निर्माण किया जाना है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः राज्य के सभी जिलों में एक-एक 5000 एम0टी0 क्षमता का शीत गृह निर्माण प्रस्तावित था।
2.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के महागामा विधान सभा क्षेत्र में 5000 एम0टी0 क्षमता के शीतगृह का निर्माण नहीं हो पाया है, स्टोरेज क्षमता के अभाव में किसान मौसम आधारित सामानों को स्टोर नहीं कर पाते हैं, मजबुरीवश कम कीमत पर सामान बेचने को विवश है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। गोड्डा जिला, अंचल-पोड़ैयाहाट, मौजा-चामुडीह में 5000 एम0टी0 क्षमता का शीत गृह का निर्माण कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा कराया जाना निर्धारित था, परन्तु दिनांक-21.04.2022 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय समीक्षा बैठक में समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिन शीत गृहों के निर्माण कार्य की निविदा नहीं निकाली गयी है, उसके निर्माण का कार्य अभी नहीं शुरू किया जाय। उक्त के आलोक में गोड्डा जिले में 5000 एम0टी0 क्षमता के शीत गृह का निर्माण स्थगित है।
3.	क्या यह बात सही है कि शीतगृह बन जाने से मौसम आधारित उत्पाद हेतु स्टोरेज उपलबध हो सकेगा तथा बाजार के माँग के अनुरूप उत्पाद को बेचने से उनसबों को उचित मूल्य मिल सकेगा ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के हित में महागामा विधान सभा क्षेत्र में 5000 एम0टी0 क्षमता के शीतगृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त कंडिका-2 के अनुरूप।

1026 31.07.2023

कृ0पृ0उ0

(69)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–03/बजट सह0 (विधान सभा)–29/2023 1026/राँची, दिनांक– 31.07.2023

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–1890 वि0स0 दिनांक–25.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 31.07.23

(राघवेन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव।

D:\S.Murmu\2023-24\Vidhan saba Question 2022-23.docx

(170)

डॉ० इरफान अंसारी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–03.08.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–जा–08 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि प्रमुख सड़कों, महत्वपूर्ण चौक–चौराहों पर उचित प्रकाश की व्यवस्था सुरक्षा के दृष्टि से अत्यावश्यक है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के चंपापुर चौक, करमदाहा मोड़, नारायणपुर मोड, मुरली पहाड़ी मोड़, ईदगाह मोड, सुख जोड़ा सिद्धू कान्हू चौक एवं गोराईनाला चौक पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जामताड़ा जिला के चंपापुर चौक, करमदाहा मोड़, नारायणपुर मोड में प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है। ईदगाह मोड, सुख जोड़ा सिद्धू कान्हू चौक एवं गोराईनाला चौक पर प्रकाश की व्यवस्था है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उपर्युक्त स्थलों पर हाई मास्ट लाईट लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	ऐसा कोई प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत विचाराधीन नही है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–05 / तारांकित–06 / 2023 / न०वि०आ० 2915 राँची, दिनांक– 31/07/23

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्र संख्या–1979 दिनांक–27.07.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/7/23
सरकार के अवर सचिव।

(171)

श्री दीपक बिरूवा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा-12 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री दीपक बिरूवा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक-30.06.2023 को प्रकाशित शीर्षक "झूठा था पूर्ण विद्युतीकरण का दावा, 2,817 गांव-टोले में अभी भी बिजली नहीं" के आलोक में:- क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य में 2,817 गांव टोले हैं, जहाँ बिजली पहुँचाना बाकी है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि 4,980 स्थानों पर आंशिक तौर पर विद्युतीकरण हुआ जिसमें कहीं-कहीं पर पोल एवं तार ही लगाया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है, कि पश्चिम सिंहभूम जिले के 507 टोले में बिजली अनुपलब्धता एवं 600 स्थानों पर आंशिक विद्युतीकरण हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला प्रशासन से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 507 अविद्युतीकृत टोलों एवं 600 आंशिक विद्युतीकृत टोलों का कार्य करना है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (3) में उल्लेखित स्थानों पर नियमित रूप से विद्युतीकरण बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छूटे हुए टोलों का विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1537 / दिनांक 02/08/2023

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/8/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(172)

डॉ० नीरा यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ज०-04 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखण्ड क्रमशः कोडरमा ग्रामीण, मरकच्चो, डोमचाँच तथा सतगाँवा प्रधानतः कृषक आजीविका पर निर्भरता वाले क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित क्षेत्र में विगत 10 वर्षों से बन्द पड़े उद्वह सिंचाई योजनाओं के पुर्नरूद्धार व पुर्नसंचालन नहीं होने के कारण स्थानीय कृषक पर्याप्त सिंचाई सुविधा से वंचित है;	स्वीकारात्मक। लाभुकों द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान करने में असमर्थता एवं योजना के समुचित रख–रखाव के अभाव के कारण योजनाएँ जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित क्षेत्रों में स्थानीय कृषकों को खण्ड (2) में वर्णित योजनाओं के पुर्नरूद्धार कराते हुए अविलम्ब सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	कोडरमा जिला के कोडरमा प्रखण्ड अंतर्गत सलैया एवं सोन्देडीह में लाभुकों से सौर उर्जा चालित, उद्वह सिंचाई योजना के संचालन, रख–रखाव एवं योजना के सोलर पैनल अधिष्ठापन हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित सहमति पत्र प्राप्त है। सौर उर्जा चालित उद्वह सिंचाई योजना का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। प्रखण्ड मरकच्चो, डोमचाच एवं सतगाँवा के उद्वह सिंचाई योजनाओं को सोलर चालित बनाया जाना प्रस्तावित है। लाभुकों से सौर उर्जा चालित, उद्वह सिंचाई योजना के संचालन, रख–रखाव एवं योजना के सोलर पैनल अधिष्ठापन हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त बजटीय उपबन्ध एवं निधि की उपलब्धता को देखते हुए सौर उर्जा चालित उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–20–तारांकित–01/2023.....4383 / राँची, दिनांक–01/08/23

प्रतिलिपि :–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–1772 दिनांक–23.07.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0—कृष —03 का उत्तर प्रतिवेदनः—

प्रश्नकर्त्ता		उत्तरदाता
श्री दशरथ गागराई, माननीय सदस्य विधान सभा		श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला—खरसावाँ जिला के कुचाई, दलभंगा, खरसावां एवं बड़ाबाम्बो में स्थित चार भिन्न—भिन्न प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के लिए मात्र एक ही पशु चिकित्सक पदस्थापित है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि एक पशु चिकित्सक के द्वारा चार भिन्न—भिन्न पशु चिकित्सालय को संचालित करने में कठिनाई आ रही है एवं संबंधित क्षेत्र के पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रहा है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। पशुचिकित्सकों की कमी के कारण कई पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सक को प्रभार देकर कार्य संपादित कराया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सभी पशु चिकित्सालयों के लिए अलग—अलग पशु चिकित्सकों को पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा 66 (छियासठ) पशुचिकित्सकों की नियुक्ति हेतु रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। निकट समय में नियुक्त होने वाले पशुचिकित्सकों का तद्नुसार पदस्थापन किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक :— 1 स्था० तारांकित प्रश्न 03/2023 प०पा० प०पा० 1047 दिनांक 01/08/23
प्रतिलिपि—अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र संख्या—1878/वि०स० दिनांक 25.07.2023 के प्रसंग में/अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23

(राजकुमार श्रीवास्तव)
सरकार के अवर सचिव

\Section-6\VIDHAN SANSAD\Vidhan sabha 2023\vidhan sabha 2023.docx

(174)

श्री संजीव सरदार, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा-09 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री संजीव सरदार, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि कोल्हान प्रमंडल में 10KVA और 16KVA के बहुत से ट्रॉंसफार्मर जले हुए हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि 10KVA और 16KVA के ट्रॉंसफार्मर जले होने के कारण आम ग्रामीणों को बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जले हुए ट्रॉंसफार्मर को चिन्हित करते हुए बदलना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक। वर्ष 2023–24 में सभी 10 / 16 के०भी०ए०. के खराब ट्रांसफार्मर को बदलने का लक्ष्य निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1540 / दिनांक 02/08/2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/08/2023

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

D:\WIP\Vihan Sabha (Question & Answer)\Mansoon 2023\Answer.docx 12

श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा–11 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है, जिसे अब दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना में परिवर्तित कर दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य हो रहा था लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना में उसका नाम परिवर्तित कर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना रखा गया है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना मार्च 2022 में पूर्ण हो चुकी है।
2. क्या यह बात सही है कि इस योजनान्तर्गत खूँटी जिला में 69 गाँवों में विद्युतीकरण का कार्य करना है;	आंशिक स्वीकारात्मक। खूँटी जिला के 69 टोलों में विद्युतीकरण का कार्य करना है।
3. क्या यह बात सही है कि इस योजना को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण एवं छात्रों को पठन–पाठन तथा किसानों को पटवन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खूँटी जिला के सभी गाँवों का विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूरा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2023–24 में छूटे हुए टोलों का विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना निर्धारित है।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1538 / दिनांक 02/08/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/08/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक–03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष 05 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0, झारखण्ड	**श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची**

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सर्विसेज हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाईटी लि0 अशोक नगर, राँची के पत्रांक 693, दिनांक–23.10.2016 द्वारा प्लौट 505/डी के पूर्व दिशा में सर्वे प्लौट सं0–3039 अरगोड़ा ग्राम के 5 डिसमिल अतिरिक्त जमीन का आवंटन श्रीमती सुषमा कुमारी, प्लॉट नं0–385–बी अशोक नगर को तथा पत्रांक–694, दिनांक–23.10.2016 द्वारा अरगोड़ा ग्राम सर्वे प्लॉट नं0–3039 से अशोक नगर प्लॉट संख्या–505/डी के निकट अतिरिक्त 5 डि0 जमीन का आवंटन डा0 विनय कुमार राय प्लॉट सं0–505/डी0 अशोकनगर को बिना किसी विज्ञापन/सूचना प्रकाशित किये मनमाने तरीके एवं नियम विरुद्ध सचिव द्वारा आवंटित किया गया है, जिसमें आवंटन के पूर्व 10 परिवार निवास कर रहें थे;	अस्वीकारात्मक। जिला सहकारिता पदाधिकारी, राँची के पत्रांक–412 दिनांक–28.07.2023 के माध्यम से प्राप्त अ0सचिव, सर्विसेज हाउसिंग को–ऑपरेटिव सोसाईटी लि0, अशोक नगर, राँची के पत्रांक–260 दिनांक–28.07.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत 10 डिसमिल भूखण्ड पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया था, जिसके विरुद्ध सोसाईटी द्वारा दायर Title/eviction suit स्वत्व वाद संख्या–83/1992 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–18.01.2012 को सोसाईटी के पक्ष में फैसला सुनाये जाने के उपरांत उल्लेखित भूखण्ड के आवंटन हेतु दिनांक–24.01.2012 को हस्ताक्षरित विशेष सूचना का प्रकाशन सोसाइटी कार्यालय के सूचना पट्ट में किया गया। इस प्रकाशित सूचना के आलोक में मात्र दो आवेदक डॉ0 विनय कुमार राय तथा श्रीमती सुषमा कुमारी से प्राप्त आवेदनों के संदर्भ में निदेशक मंडल के द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए डॉ0 विनय कुमार राय एवं श्रीमती सुषमा कुमारी को 05–05 डीसमिल भूखण्ड का आवंटन किया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सोसाईटी के बॉईलाज के विपरीत एक ही व्यक्ति को दो भूखंड आवंटन करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उक्त भूखंड का आवंटन रद्द करने एवं भू–खंड में पूर्व में आवासित लोगों को आवंटित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	खण्ड–1 के अनुरूप।

कृ0पृ030

D:\S.Murmu\2023-24\Vidhan saba Question 2022-23.docx

1059
02.08.2023

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–04/विधानसभा (तारांकित)–44/2023 सह0 1059 /राँची, दिनांक- 02.08.2023

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–1891 वि0स0 दिनांक–25.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दयानन्द प्रसाद)
02/08/2023
सरकार के अवर सचिव।

D:\S.Murmu\2023-24\Vidhan saba Question 2022-23.docx

श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–06 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला के निरसा विधान–सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड–निरसा केलियासोल, एगारकुण्ड एवं चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्रों में विद्युत मीटर की गडबड़ी व विद्युत विपत्र समय से नहीं मिलने के कारण विद्युत का कनेक्शन काट दिया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। धनबाद जिला के निरसा विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड–निरसा, केलियासोल, एगारकुण्ड एवं चिरकुंडा नगर परिषद में उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायत के आधार पर मीटर का जाँच किया जाता है। तदोपरांत विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। वैसे उपभोक्ता जिनके द्वारा विद्युत विपत्र की राशि बहुत लंबे समय तक भुगतान नहीं किया जाता है, उनका विद्युत संबंध नियमानुसार विच्छेदित कर दिया जाता है एवं उपभोक्ता द्वारा पूर्ण बकाया राशि अथवा किस्त कराकर बकाया राशि जमा किये जाने पर पुनः विद्युत संबंध जोड़ दिया जाता है।
2. क्या यह बात सही है, कि विद्युत कनेक्शन काटे जाने के कारण व्यवसायों, ग्रामीणों, किसानों तथा विद्यार्थियों व महिलाओं को काम–काज में काफी परेशानी होती है;	अस्वीकारात्मक। बकाये राशि का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्तओं का विद्युत संबंध नियमानुसार विच्छेदित किया जाता है, जिससे संबंधित उपभोक्ता ही प्रभावित होते हैं।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निरसा विधान–सभा क्षेत्र के प्रखण्ड–निरसा केलियासोल, एगारकुण्ड तथा चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के सभी विद्युत मीटर का जांच कराकर ठीक कराने तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	धनबाद जिला के निरसा विधान–सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखण्ड–निरसा केलियासोल, एगारकुण्ड एवं चिरकुंडा नगर परिषद के वैसे उपभोक्ताओं जिनके विद्युत मीटर में गड़बड़ी संबंधी शिकायत प्राप्त होती है उक्त पर जाँचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1522 / दिनांक 01/08/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/08/23

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव

178

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–कृष 02 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा0स0वि0स0, झारखण्ड	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या बात सही है कि बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में बहुतायत में किसानों का निवास है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अपनी सुरक्षा के मद्देनजर किसानों द्वारा कृषि बीमा कराया गया था;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016-18 की बीमा राशि अभी तक किसानों को भुगतान नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ 2016 एवं रबी 2016-17 में पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखण्ड में क्षतिपूर्ति राशि अनुमान्य नहीं थी। खरीफ 2017 में क्षतिपूर्ति राशि अनुमान्य नहीं थी एवं रबी 2017-18 में 146 कृषकों को रूपये 62337/- क्षतिपूर्ति राशि के रूप में भुगतान किया गया। खरीफ 2018 में पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखण्ड में कुल 2666 किसानों को रूपये 4.38 करोड़ मात्र दावा राशि का भुगतान किया गया है, जिसमें से 925 कृषकों की दावा राशि लगभग रूपये 1.42 करोड़ बैंक खाता सं0 IFSC Code या अन्य तकनीकी त्रुटियों के कारण वापस हो गयी है। इसे भी भुगतान करने की नियमानुकूल कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। रबी 2018-19 में पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखण्ड में कुल 106 किसानों को रूपये 12.51 लाख मात्र दावा राशि का भुगतान किया गया है, जिसमें से 5 कृषकों की दावा राशि लगभग रूपये 56130/- बैंक खाता सं0 IFSC Code या अन्य तकनीकी त्रुटियों के कारण वापस हो गयी है। इसे भी भुगतान करने की नियमानुकूल कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरकार किसानों को बीमा राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

कृ0पृ0उ0

D:\S.Murmu\2023-24\Vidhan saba Question 2022-23.docx

1050
01.08.2023

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–07/विधानसभा (तारांकित)–17/2023 सह0 1050 /राँची, दिनांक– 01.08.2023

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–1782 वि0स0 दिनांक–23.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

शिवकुमार 01.08.2023

(शिव कुमार केडिया)

सरकार के अवर सचिव।

D:\S.Murmu\2023-24\Vidhan saba Question 2022-23.docx

(180)

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.08.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–05 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 0–5 वर्ष बच्चों का सर्वे करना, सावित्री बाई किशोरी समृद्धि योजना का कार्य, मातृ वंदना का कार्य, विभिन्न उम्र के बच्चों का वजन करना, ग्रोथ चार्ट मेंटेन करना, गोद भराई का कार्य करना, सभी कार्यों को पोषण ट्रेकर में अपडेट करना, रजिस्टर बनाना जैसे अनेकों जटिल कार्यों को सौंपा गया है;	स्वीकारात्मक। इस कंडिका में उल्लिखित सभी कार्य आंगनबाड़ी सेविकाओं के कार्य से संबंधित है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त कार्यों के अलावा कभी भी अचानक उन्हें प्रखंड कार्यालय बुला लिया जाता है, जिसमें परेशानी और निजी खर्च दोनों होती है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। प्रखण्ड कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं की मासिक बैठक हेतु सामान्यतः एक तिथि निर्धारित की जाती है तथा मुख्यतः आंगनबाड़ी सेविका को इसी दिन प्रखण्ड कार्यालय आना होता है। फिर भी आवश्यकानुसार विभिन्न कार्यों के निर्वहन/प्रशिक्षण हेतु उन्हें एक से अधिक बार प्रखण्ड कार्यालय कार्यहित में बुलाया जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में जबरन सेविकाओं को BLO का कार्यभार दे दिया गया है, जो बिल्कुल अनुचित है एवं सेविकाएं इसका विरोध कर रही है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। BLO की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये गये हैं एवं इस संबंध में अद्यतन निर्देश दिनांक–04.10.2022 (प्रति संलग्न) का है। उक्त के अनुसार आंगनबाड़ी वर्कर्स सहित 13 प्रकार के सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मियों की श्रेणियों में से BLO की नियुक्ति, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13ख (2) के तहत् जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अनुमति से की जाती है।
4.	क्या यह बात सही है कि ऊपर वर्णित कार्यों को करने के साथ आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को पढ़ाना लगभग असंभव है ;	अस्वीकारात्मक। सामान्यतः आंगनबाड़ी सेविका द्वारा BLO के रुप में कार्यों का निर्वहन केन्द्र संचालन अवधि के पश्चात् किया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को पढ़ाने का कार्य सुचारु रुप से किया जाता है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार सेविकाओं को दिए गए BLO का कार्यभार को हटाने अथवा वैकल्पिक बनाने एवं उनके कार्यों को विभिन्न सरकारी कर्मियों/ग्रामीण महिला समूहों के बीच वितरित करने और प्रखण्ड कार्यालय जाने हेतु एक तिथि सुनिश्चित करने का इरादा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कण्डिका के अनुरुप (BLO के परिप्रेक्ष्य में)।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–216/2023 – 2202 रॉंची, दिनांक : 02 · 08 · 2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1876/वि0स0 दिनांक–25.07.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02-8-23

(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

(181)

श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.08.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–01 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के 17 जिलों में विश्व बैंक के सहयोग से संचालित तेजस्वनी परियोजना, जिसमें 10 हजार से ज्यादा कर्मी कार्यरत है को 25 अगस्त से बंद करने संबंधी विभागीय पत्रांक–612, दिनांक–05.04.2023 के द्वारा परियोजना को बंद करने की सूचना दी गई है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विभागीय मंत्री द्वारा 17 जिलों से बढ़ाकर राज्य के 24 जिलों में यह महत्वकांक्षी परियोजना को जारी करने की घोषणा की गई परंतु इसके विपरित विभाग ने इस परियोजना को बंद करने की सूचना जारी कर दी है;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। तेजस्विनी परियोजना विश्व बैंक संपोषित योजना है, जिसकी कार्यान्वयन अवधि दिनांक–25.08.2023 तक ही विश्व बैंक द्वारा विस्तारित की गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि इस परियोजना में लगे 10 हजार कर्मी बेरोजगार हो जायेंगे जबकि सरकार द्वारा इस वर्ष को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया गया है;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। तेजस्विनी परियोजना के तहत् कुल 109 कर्मी सरकार द्वारा योजना अवधि तक सृजित पद के विरुद्ध कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्तर पर कार्य हेतु चयनित सामुदायिक सेवा प्रदात्ता द्वारा एकरारनामा के शर्त्त के अनुसार 9142 कर्मी की सेवा ली गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार राज्यहित में तेजस्वनी परियोजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में कराना चाहती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	क्रमांक (2) में समाहित।

झारखण्ड सरकार

<u>महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग</u>

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–211/2023 – 2205 राँची, दिनांक : 02.08.2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1778/वि0स0 दिनांक–23.07.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.8.23

(प्रीति सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

182

श्रीमती पुष्पा देवी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा-10 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती पुष्पा देवी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के छतरपुर, नौडिहाबाजार प्रखण्ड के दर्जनों गाँव एवं हरिहरगंज, पिपरा के दर्जनों गाँव अतिसुदूरवर्ती क्षेत्र में है, जो जिला मुख्यालय से 60-70 कि०मी० दूर है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि छतरपुर अनुमण्डल स्थित T.R.W (Transformer Repair Workshop) नहीं होने से उक्त प्रखण्ड के ग्रामों में ट्रांसफार्मर जल जाने या खराब हो जाने पर ट्रांसफार्मर मरम्मति कराने हेतु 60-70 कि०मी० दूर जिला मुख्यालय स्थित (T.R.W) ले जाना पड़ता है, जिससे उन्हें महीनों अंधेरे में गुजारना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि छतरपुर अनुमण्डल मुख्यालय में T.R.W (Transformer Repair Workshop) की स्थापना हो जाने से वर्णित प्रखण्डों में जले ट्रांसफारर्मरों का मरम्मति ससमय हो पायेगा;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पलामू जिले के छतरपुर अनुमण्डल में T.R.W (Transformer Repair Workshop) की स्थापना इसी वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पलामू जिला के छतरपुर अनुमण्डल में TRW निर्माण हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में प्रावधान किया गया है। जमीन उपलब्ध कराने हेतु महाप्रबंधक, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, मेदिनीनगर के कार्यालय पत्रांक 864 दिनांक 28.07.2023 के द्वारा उपायुक्त, पलामू को पत्र भेजा गया है। जमीन उपलब्ध होते ही TRW निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1539 / दिनांक 02/08/2023

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/08/2023

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

माननीय स0वि0स0, श्री कमलेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0– ज–05 का उत्तर प्रतिवेदन :

क्र0	तारांकित प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत छतरपुर अंचल के बटाने जलाशय योजना के भू–अर्जन एवं पुनर्वास संबंधी मुआवजा को लेकर स्थानीय विस्थापितों के द्वारा डैम के एक गेट को उठाकर वेल्डिंग कर दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित एक गेट को वेल्डिंग कर दिये जाने के फलस्वरूप बटाने जलाशय में जल का भंडारण नहीं हो पा रहा है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या बात सही है कि बटाने जलाशय योजना से हरिहरगंज एवं छतरपुर प्रखंड के लगभग 3500 एकड़ भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन होगा;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है, तो क्या सरकार बटाने जलाशय योजना में वेल्डिंग गेट को गिराकर पलामू जिला के हरिहरगंज एवं छत्तरपुर प्रखंड के लगभग 3500 एकड़ भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	1. बटाने जलाशय योजना के डूब क्षेत्र के शेष 6 ग्रामो के 204.365 एकड़ भूमि का भू–अर्जन कार्य हेतु रूपये 11749.69 लाख विशेष भू– अर्जन पदाधिकारी उत्तर कोयल परियोजना, मेदिनीनगर को उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। विशेष भू–अर्जन कार्यालय द्वारा उक्त छह ग्रामो यथा दिनादाग, धोबीडीह, कउवल, भंडारडीह, नावाडीह एवं गुलाबझरी के भू–धारियों को मुआवजा राशि के भुगतान प्राप्त करने हेतु भू अर्जन के अधिनियम 2013 की धारा 37 (2) के तहत नोटिस निर्गत कर दिया गया है। 2. नौडीहा बाजार अंचल अंतर्गत 2 ग्रामो नावाडीह एवं गुलाबझरी का भुगतान जारी है। छत्तरपुर अंचल अंतर्गत 4 ग्रामो का संबंधित रैयतों के द्वारा भू स्वामित्व (LPC)/ वंशावली प्रमाण पत्र एवं अन्य राजस्व कागजात विशेष भू–अर्जन कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित रैयतों को कर दिया जायेगा।

Ramesh Kr.WRD.Med//

		3. डूब क्षेत्र के विस्थापितों के मुआवजा के भुगतान हेतु अब तक रूपये 4736.06 लाख पुनर्वास पदाधिकारी मेदिनीनगर को उनके अधियाचना के आधार पर एकमुश्त निकासी कर उपलब्ध कराया जा चूका है। 1048 विस्थापित परिवारों में से अब तक 1020 परिवारों को सभी मुआवजा का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया है, तथा शेष परिवारों के अन्यत्र चले जाने अथवा मृत हो जाने के कारण भुगतान नहीं हो सका है। अब तक जिन परिवारों को भुगतान नहीं किया जा सका है, ऐसे मामलों में सम्बद्ध को उचित अभिलेख के साथ संपर्क कर मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित करायी गयी है। उपरोक्त विषयक योजना के पुनर्वास एवं भू अर्जन संबंधी मुआवजा का भुगतान कराकर गेटों का यांत्रिक कार्य पूर्ण किया जा सकेगा, जिससे डैम में जल भण्डारण हो सकेगा एवं कृषको को इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा।

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 4284 /राँची, दिनांक– 01/08/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक सं0–1769, दिनांक–23.07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23

सरकार के अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची

Ramesh Kr.WRD,Med//

श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.08.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या– म०स०–04 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि तोरपा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत खूँटी जिला के कर्रा, रनिया, तोरपा प्रखण्ड एवं सिमडेगा जिला के बानो प्रखण्ड में संचालित कई आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहिन है तथा किराये पर चल रहे हैं ;	स्वीकारात्मक। खूँटी जिलान्तर्गत तोरपा विधानसभा क्षेत्र के कर्रा, रनियाँ एवं तोरपा प्रखंड अधीन कुल 262 आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यशील है। वर्त्तमान में सरकारी भवन 178 है, 34 केन्द्र किराया में संचालित, 32 केन्द्र विद्यालय भवन में तथा 18 केन्द्र सामुदायिक भवन में संचालित है। वही सिमडेगा जिला अन्तर्गत बानो प्रखण्ड अधीन सम्प्रति कार्यशील 135 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 132 आंगनबाड़ी केन्द्र स्व–भवन में संचालित है। शेष तीन (03) केन्द्रों में भवन निर्माणाधीन है तथापि ये केन्द्र सामुदायिक भवन/विद्यालय के सरकारी भवनों में संचालित है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार किराये पर चलने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण राज्य में 5848 आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन निर्माण प्रस्तावित है। इनके तहत खूँटी जिले के भवनहीन आँगनबाड़ी केन्द्रों में भी भवन निर्माण कराई जायेगी।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 04/म0स0/विधान सभा–214/2023 – 2203 रॉंची, दिनांक : 02.08.2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को उनके ज्ञापांक–1779/वि0स0 दिनांक–23.07.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.8.23

(प्रीति सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

185

श्री भानु प्रताप शाही, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-01 का उत्तर प्रतिवेदनः-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री भानु प्रताप शाही, मा0स0वि0स0, झारखण्ड	**श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची**

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या बात सही है कि गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे गढ़वा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि का भुगतान पिछले 02 वर्षो से लम्बित है, जिससे किसानों को कृषि कार्य में दिक्कत हो रही है;	अस्वीकारात्मक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ 2018 के लिए गढ़वा जिले में कुल 16851 किसानों को रूपये 15.76 करोड़ मात्र दावा राशि का भुगतान किया गया है, जिसमें से 1848 कृषकों की दावा राशि लगभग रूपये 1.64 करोड़ बैंक खाता संख्या, IFSC Code या अन्य तकनीकी त्रुटियों के कारण वापस हो गयी है। रबी 2018-19 के लिए गढ़वा जिले में कुल 3500 किसानों को रूपये 5.37 करोड़ मात्र दावा राशि का भुगतान किया गया हैं, जिसमें से 102 कृषकों की दावा राशि लगभग रूपये 16.29 लाख बैंक खाता संख्या, IFSC Code या अन्य तकनीकी त्रुटियों के कारण वापस हो गयी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2019-20 के लिए गढ़वा जिले में कुल 2049 किसानों को 33.51 लाख रूपये मात्र दावा राशि का भुगतान किया गया हैं, जिसमें से 80 कृषकों की दावा राशि लगभग रूपये 1.18 लाख बैंक खाता संख्या, IFSC Code या अन्य तकनीकी त्रुटियों के कारण वापस हो गयी है। किसानों की वापस दावा राशि का भी भुगतान किये जाने हेतु नियमानुकूल कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 02 वर्षो का प्रधानमंत्री फसल बीमा की लम्बित बकाया राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

1049
01.08.2023

कृ0पृ0उ0

185

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–07/विधानसभा (तारांकित)–16/2023 सह0 1049/राँची, दिनांक– 01.08.2023

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–1783 वि0स0 दिनांक–23.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 चक्रलिखित प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 01.08.2023

(शिव कुमार केडिया)

सरकार के अवर सचिव।

D:\S.Murmu\2023-24\Vidhan saba Question 2022-23.docx

186

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–खा० 03 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री केदार हाजरा
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ विधान सभा क्षेत्र में जमुआ प्रखण्ड के लिए लगभग 18 हजार क्विंटल खाद्यान्न का आवंटन जो अबतक बकाया चल रहा है ? परिवहन अभिकर्म एवं विभागीय पदा० की मिलीभगत से बेच कर सम्पूर्ण राशि का गबन कर लिया गया तथा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न से वंचित कर दिया गया;	प्रश्नगत मामले में विभागीय पत्रांक–2289, दिनांक 31.07.2023 द्वारा निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची को जाँच कराकर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह जिला में डोर स्टेप डिलिवरी को पहुँचाने वाले जिला परिवहन अभिकर्ता एवं संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी की भूमिका की उच्च स्तरीय जाँच कराते हुए अपराधिक मुकदमा दर्ज करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जाँच प्रतिवेदन के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–62/2023 2309 /राँची, दिनांक 02/08/23

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 1881, दिनांक 25.7.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/08/2023

सरकार के अवर सचिव।

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जल संसाधन विभाग (Major Irrigation) द्वारा प्राकृतिक नहर/नालों को जीर्णोद्वार कराया जाता है, जिसमें साहेबगंज जिलान्तर्गत सदर प्रखण्ड के बचोहिया नाला एवं राजमहल के तेनुआ नाला के निर्माण हेतु सर्वेक्षणोपरान्त प्राक्कलन प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष–2020 में दी जा चुकी है।	अस्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उधवा प्रखण्ड के शुक्रवासिनी नाला/कोदलकट्टी नाला एवं गज्जी नाला के जीर्णोद्वार हेतु प्राक्कलन का प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2020 से लम्बित है।	अस्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत सरला नहर, धपाई नहर, कंचनपुर दज्जो नाला तथा सुखसेना–चण्डीपुर–लालमाटी तक बढ़ेल झील तक कैनाल तथा उधवा प्रखण्ड के पतौड़ा झील से राधानगर के बीच उदय नाला एवं पतौड़ा झील से पंचायत जोंका के बीच स्थित डोमजल्ला नाला में गाद जमाव के निराकरण हेतु प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है।	अस्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) (2) तथा (3) में वर्णित नहर/नालों के गहरीकरण, पक्कीकरण, चौड़ीकरण हेतु अविलम्ब निर्माण कार्य प्रारम्भ कराते हुए स्थानीय कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मुहैया कराने हेतु मुख्य अभियंता, देवघर को स्थल निरीक्षण कर क्षेत्र में अवस्थित प्राकृतिक नालों से सिंचाई की संभाव्यता से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन की मांग इस कार्यालय के पत्रांक–519, दिनांक–14.06.2023, द्वारा की गई है। मुख्य अभियंता, देवघर से संभाव्यता प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त योजना के निर्माण पर विचार किया जाएगा।

ASL

(187)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–61/2023 – 4286 /राँची, दिनांक 01/08/23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1897 वि०स० दिनांक 25..07.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

F:\Note 5\Vidhan Sabha\July-2023\I-20 Anante kumar ojha.docx